

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

# साप्ताहिक

### WEEKLY

सं. 5] No.5] नई दिल्ली, जनवरी 27-फरवरी 2, 2019, शनिवार/माघ 7-माघ 13, 1940

NEW DELHI, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2019, SATURDAY/MAGHA 7— MAGHA—13, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

#### गृह मंत्रालय

## नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 36.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप—धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप—धारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राइफल्स (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
  - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. असम राइफल्स ( समूह 'ग' योधक पद ) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ), में नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :--
  - "2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।";

(A) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix	
(4)	
Level-5 (Rs 29200-92300/-)";	

- (B) in column (7), under heading "Essential", for paragraph (b), the following paragraph shall be substituted, namely:-
- "(b) Diploma in Pharmacy from any recognised Institution of the Central Government or a State Government for which the period of training in two years followed by an internship of which the practical training shall not be less than five hundred hours spread over a period of not less than three months:

Provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescriptions;".

[F. No. A/Pers/Amdt RRs/WO Pharm/2018]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 16<sup>th</sup> July, 2016 *vide* notification number G.S.R 125, dated the 1<sup>st</sup> June, 2016.

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2019

- सा.का.नि. 38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई में किनष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, चेन्नई, कनिष्ठ अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे बद्ध वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.— वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने
	-	_	स्तर्या वतनमान	पद	वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400- 112400 रु.)	लागू नहीं होता	(ठ) 30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों
	परिवर्तन किया जा सकता है ।				के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।
		•			टिप्पण 2: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम
		·			तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
		;			मिजोरम,मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर
				į	राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले का पांगी उपखंड,
					अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
सीधे भर्ती किए जाने वाले क्यक्तियों के लिए अपेक्षित	•	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी
•	व्यक्तियों के लिए विहित आयु	हो	होगी या प्रोन्नति द्वारा या
शैक्षिक और अहर्ताएं	और शैक्षिक अईताएं प्रोजत		प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा
)	व्यक्तियों की दशा में लागू होगी		तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
	या नहीं		मरी जाने वाली रिक्तियों की
/7\	(0)		प्रतिशतता
(7) (i) किसी मान्यताप्राप्त	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
			टिप्पण : पदधारी के
हिंदी में भास्टर   डिग्री जिसमें डिग्री			प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या
ا م د.			लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी
			या किसी अन्य परिस्थिति में
अनिवाय या । वैकल्पिक विषय रहा			एक वर्ष या अधिक अवधि के
हो या परीक्षा के			लिए बाहर रहने के कारण हुई
हा या पराक्षा क माध्यम के रूप में			रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के
			ऐसे अधिकारियों में से
रहा हो ;		· i	प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी
या किसी मान्यताप्राप्त			जा सकेंगी :-
			(क) जिन्होंने मूल काडर
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर			या विभाग में
अग्रजा म मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री			नियमित आधार पर
			सदृश पद धारण
स्तर पर हिंदी अनिवार्य या			किया हुआ है , और
अनिवाये या     वैकल्पिक विषय के			(ख) जो स्तम्भ (7) के
क्षा भें रहा हो या	,		अधीन सीधी भर्ती के
परीक्षा के माध्यम के			लिए विहित किए गए
रूप में रहा हो ;			अनुभव और शैक्षिक
्या			अर्हताएं रखते हों ।
			(प्रतिनियुक्ति पर
विश्वविद्यालय से			नियुक्ति के लिए
हिंदी या अंग्रेजी से			अधिकतम आयु-सीमा : आवेदन प्राप्त करने
भिन्न किसी अन्य			आयदन प्राप्त करन की अंतिम तारीख को
विषय में हिंदी			छप्पन वर्ष से अधिक ।
माध्यम से मास्टर			अप्पन यय स आधक नहीं होगी)
डिग्री और डिग्री स्तर			1161 61411)
पर अंग्रेजी एक			
अनिवार्य या	,		
वैकल्पिक विषय के	İ		
रूप में या परीक्षा के			
माध्यम के रूप में	•		
रहा हो ;	ĺ		
या			
किसी मान्यताप्राप्त			
विश्वविद्यालय से			
हिंदी या अंग्रेजी से			
भिन्न किसी अन्य			
विषय में अंग्रेजी			
माध्यम से मास्टर			
डिग्री और डिग्री स्तर			

पर हिंदी एक			
अनिवार्य या	·	1	
वैकल्पिक विषय के			
रूप में या परीक्षा के		ł	
माध्यम के रूप में			
रहा हो ;		,	
या			
किसी मान्यताप्राप्त			
विश्वविद्यालय से			
हिंदी या अंग्रेजी से			
भिन्न किसी भी विषय		1	
में मास्टर डिग्री			•
न मास्टर । इग्रा जिसमें डिग्री स्तर पर	,		
हिंदी और अंग्रेजी			
अनिवार्य या	·		
वैकल्पिक विषय रहे			
हो या इन दोनों में से			
एक परीक्षा के			
माध्यम के रूप में			
रहा हो और दूसरा			
अनिवार्य या			
वैकल्पिक विषय के	"		
रूप में रहा हो;			
और			
(ii) हिंदी से अंग्रेजी में और			•
अंग्रेजी से हिंदी में	ļ		
अनुवाद का			•
मान्यताप्राप्त			
डिप्लोमा या प्रमाण			
पत्र पाठ्यक्रम या			•
केंद्रीय सरकार या			*
राज्य सरकार के			
कार्यालयों में, जिनके	,		
अर्न्तगत भारत	·		
सरकार के उपक्रम हैं,			
हिंदी से अंग्रेजी में			
और अंग्रेजी से हिंदी			
में अनुवाद कार्य का	•		
दो वर्ष का अनुभव			
हो।	f		
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा			
सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में	,		
उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध			
किए जाएं कर्मचारी चयन			
आयोग के विवेकानुसार शिथिल			
की जा सकती है।			
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी			·
अर्हता उन कारणों के लिए जो	{		
लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी			
चयन आयोग के विवेकानुसार	,		

अनुसूचित जातियों या			1
अनुसूचित जनजातियों के			
अभ्यर्थियों की दशा में तब			
शिथिल की जा सकती है, जब	•		
चयन के किसी प्रक्रम पर			
कर्मचारी चयन आयोग की यह		•	
राय है कि उनके लिए आरक्षित			
रिक्तियों को भरने के लिए			
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन	·		İ
समुदायों के अभ्यर्थियों के	·	•	
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		. '	
की संभावना नहीं है।			

प्रोम्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख'विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-  (1) उप महानिदेशक (लोक स्वास्थ्य) - अध्यक्ष (2) निदेशक (टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम) - सदस्य (3) उप निदेशक(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.ए-12018/11/2017-ई.पी.आई.] गोपाल कृष्ण शुक्ल, उप सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

· New Delhi, the 22nd January, 2019

- G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely:
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Junior Translator (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2019.
  - (2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix and pay scale.—The number of post, its classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 5. **Power to relax**.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard,

**SCHEDULE** 

Name of post	Number of	Classification	Level in pay	Whether	Age - limit for direct
Time or bost	post	Ciabbilication	matrix or pay	selection	recruits
	•		scale	post or non -	
				selection	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	1*(2019)	General Central	Level – 6 in	Not applicable	Not exceeding thirty
	*(Subject to	Service Group 'B',	the pay matrix		years.
	variation	Non-Gazetted,	Rs. 35400-		Note1: Relaxable for
	dependent on	Non-Ministerial.	112400)		Government Servants
	workload).				upto five years in
					accordance with the
					instructions or orders
					issued by the Central
					Government.
					Note2: The crucial date
	· .				for determining the age-
					limit shall be the
					closing date for receipt
					of applications from
					candidates, and not the
					closing date prescribed
					for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal
		*			Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim,
•					Ladakh Division of
•					Jammu and Kasmir
					State, Lahaul & Spiti
					District and Pangi Sub-
					Division of Chamba
					District of Himachal
					Pradesh, Andaman and
	]	'			Nicobar Islands and
					Lakshadweep.
	<u> </u>				

Educational and other	XX/1 - 41	1	1
	Whether age and	Period of	
qualifications required for	educational qualifications	probation, if any	whether by direct recruitment
direct recruits	prescribed for direct		or by promotion or by
	recruits will apply in the		deputation/absorption and
	case of promotees		percentage of the vacancies to
	<u> </u>		be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Master's degree from a	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment.
recognised University in		,	Note: Vacancies caused by the
Hindi with English as a			incumbent being away on
compulsory or elective subject			deputation or long illness or
or as the medium of			study leave or under other
examination at the degree	·		circumstances for a duration of
level.			one year or more may be filled
OR			on deputation basis from
Master's degree from a			officers under the Central
recognised University in			Government:-
English with Hindi as a			Government,-
compulsory or elective subject			(a) holding analogous
or as the medium of			(a) holding analogous post
examination at the degree	·		on regular basis in the parent
level.			cadre or department; and
OR	ļ į		(b) possessing educational
Master's degree from a			qualification and experience as
recognised University in any			prescribed for direct recruits
subject other than Hindi or	į		under column (7).
English with Hindi medium			(The maximum age-limit for
			appointment by deputation shall
and English as a compulsory			be not exceeding fifty six years
or elective subject or as the	ļ		as on the closing date of receipt
medium of a examination at			of applications).
the degree level.		i	
OR		•	
Master's degree from a			
recognised University in any			
subject other than Hindi or			
English with English medium			
and Hindi as a compulsory or		,	
elective subject or as the			i
medium of a examination at			'
the degree level.	·		
OR			
Master's degree from a			·
recognised University in any			
subject other than Hindi or		-	
English with Hindi and	1		
English as compulsory or	Í		
elective subject or either of			
the two as a medium of		]	•
examination and the other as a	· }		
compulsory or elective subject			
at degree level; and			
(ii) Recognised Diploma or			
Certificate course in			
translation from Hindi to	İ	ĺ	
English vice versa or two	·		
years experience of translation			
work from Hindi to English	*		
and vice versa in Central			
Government or State			ļ
Government office, including			
merading	<u></u>		

Government of India		T-:-	
Undertaking.			
Note 1: Qualification are			
relaxable at the discretion of			
the Staff Selection			
Commission for reasons to be			
recorded in writing, in the			
case of candidates otherwise			
well qualified.			
Note 2: The qualifications			
regarding experience are	•		
relaxable at the discretion of		1	
the Staff Selection	•	e e	1
Commission for reasons to be			
recorded in writing in the case			1
of candidates belonging to the			
Scheduled Castes or the	•		
Scheduled Tribes, if any stage			
of selection, the Staff	`		
Selection Commission is of	•		·
the opinion that sufficient		•	
number of candidates from	•		
these communities possessing			
the requisite experience are not likely to be available to			
fill up the vacancies reserved			
for them.			
tor them.			
			<u> </u>

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  (i) Deputy Director General (Public Health) : Chairman  (ii) Director (Expanded Programme of Immunization) : Member  (iii) Deputy Director (Administration) : Member  (iv) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory : Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/11/2017-EPI]

GOPAL KRISHNA SHUKLA. Dy. Secy.